न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 23.02.2022

मुकदमा नं0 06 / 2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

प्रधानसिंह पुत्र स्व० रामसिंह जाति गुर्जर निवासी कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान। ———————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी ———————————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :–15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 102 पुराना 105 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 489, 490, 491, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 588, 589, 590, 624, 625, 626, 649 कुल खसरा नम्बर 18 कुल रकवा 8.24 है0 बाके ग्राम कांदरौली पटवार हल्का सनैट तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में स्थित है जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर कब्जेकाश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 17 पुराना 17 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 236, 242, 258 / 988, 324, 325,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

326, 348, 349, 351, 355, 356, 357, 402, 403, 404, 405, 567, 570, 573/987, 821, 831, कुल खसरा 21 कुल रकवा 6.34 है० बाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली के अपने हिस्से 4/30 पर कब्जे काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070–2073 के अनुसार खाता संख्या 102 पुराना 105 ग्राम कांदरौली हल्का पटवार सनेंट में प्रार्थी का नाम प्रधानसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर त्रूटिवश पप्पू पुत्र रामसिंह दर्ज हो गया है जबकि जमाबन्दी खाता संख्या 17 पुराना खाता संख्या 17 में प्रार्थी का सही नाम प्रधानसिंह ही दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के पिता स्व० श्री रामसिंह के एकमात्र पुत्र प्रार्थी स्वंय है जिसका वास्तविक नाम प्रधानसिंह पुत्र स्व० रामसिंह ही है और प्रार्थी का यही नाम शिक्षा के समस्त दस्तावेजात, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटरआईडी कार्ड जन आधार कार्ड एवं समस्त अन्य दस्तावेज में भी प्रधानसिह ही दर्ज है प्रार्थी की इसी नाम से जान पहचान है, प्रार्थी की जमाबन्दी में खाता संख्या 17 जिसका खाता संख्या पुराना 17 में प्रार्थी का नाम प्रधानसिंह सही अंकित है जबकि खाता संख्या नया 102 जिसका खाता संख्या 105 के अनुसार प्रधानसिंह पुत्र रामसिह के स्थान पर पप्पू पुत्र रामसिह त्रूटिवश दर्ज हो गया है जिसे संशोधित कर प्रधानसिंह पुत्र रामसिंह किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की जमाबन्दी नया खाता संख्या 102 में वास्तविक नाम प्रधानसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर पप्पू इन्द्राज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पडता है प्रार्थी को सरकारी योजना एवं लाभों से भी वंचित रहना पड रहा है। उक्त इन्द्राज दुरुस्ती को प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार श्रीमहावीरजी के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने यह कहते हुये दुरूस्त करने से इंकार कर दिया कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही इन्द्राज दुरूस्त होगा इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम खाता संख्या नया 102 पुराना 105 में में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामसिंह के स्थान पर प्रधानसिंह पुत्र रामसिह संशोधित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.11.2025 को अप्रार्थी व उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 1998 रोल नम्बर 397180, क्रमांक 171057 प्रधानसिंह गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 797749934630 प्रधानसिंह गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/11/086/477166 प्रधान पुत्र रामसिंह मकान नं0 79 गांव कांदरौली तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से दिनांक 21.11.1995 को जारी किया गया है, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 01010 रूपकौर गुर्जर पत्नि रामसिंह निवासी कांदरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है जिसमें क्रम सं0 02 पर प्रधानसिंह का नाम बतौर पुत्र दर्ज है पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या नया 102, खसरा नम्बर 489, 490, 491, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 588, 589, 590, 624, 625, 626, 649 कुल खसरा नम्बर 18 कुल रकवा 8.24 है0 बाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी पप्पू पुत्र रामसिंह सरवोरकार रूपकौर माता जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं अन्य सहखातेदारों के नाम भी दर्ज रिकार्ड हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या नया 17, खसरा नम्बर 236, 242, 258/988, 324, 325, 326, 348, 349, 351, 355, 356, 357, 402, 403, 404, 405, 567, 570, 573/987, 821, 831, कुल खसरा 21 कुल रकवा 6.34 है० बाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी प्रधानसिंह पुत्र रामसिंह हि0 4/30 जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं अन्य सहखातेदारों के नाम भी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 1998 रोल नम्बर 397180, कमांक 171057 प्रधानसिंह गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर के नाम से जारी की गई है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 797749934630 प्रधानसिंह गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/11/086/477166 प्रधान पुत्र रामसिंह मकान नं0 79 गांव कांदरौली तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से दिनांक 21.11.1995 को जारी किया गया है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 01010 रूपकौर गुर्जर पत्नि रामसिंह निवासी कांदरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है जिसमें कम सं0 02 पर प्रधानसिंह का नाम बतौर पुत्र दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम प्रधानसिंह पुत्र रामसिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या नया 102, खसरा नम्बर 489, 490, 491, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 588, 589, 590, 624, 625, 626, 649 कुल खसरा नम्बर 18 कुल रकवा 8.24 है0 बाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी के खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामसिंह सरवोरकार रूपकौर माता जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार दर्ज हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या नया 102, खसरा नम्बर 489, 490, 491, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 588, 589, 590, 624, 625, 626, 649 कुल खसरा नम्बर 18 कुल रकवा 8.24 है0 बाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी के खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामसिंह सरवोरकार रूपकौर माता जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार के स्थान पर प्रधानसिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)